न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :— कमर चौधरी
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 89/2022

केनरा बैंक प्रधान कार्यालय–112, नागारथ– पेटे जे0सी0रोड बैंगलुरू, शाखा कार्यालय दौसा– II दौसा जरिये प्राधिकृत अधिकारी प्रकाश चन्द मीना ...प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स भानू कन्स्ट्रक्शन जरिये प्रोपराइटर श्रीमती तारा देवी
पता–4, वासुदेव नगर, चक दौसा राजस्थान–303303 (ऋणी)

2. श्रीमती तारा देवी
पता– वासुदेव नगर, चक दौसा राजस्थान–303303 (प्रोपराईटर)

3. श्री कमलेश कुमार मीना पुत्र श्री कालू राम मीना
पता– वी–5, वासुदेव नगर, दौसा राजस्थान राजस्थान–303303 (जमानती)

प्रा0 पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम– 2002

दिनांक: 22.09.2022

उपस्थित : श्री भवानी सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी केनरा बैंक, शाखा दौसा ने अप्रार्थी/ऋणी मैसर्स भानू कन्स्ट्रक्शन कंपनी वासुदेव नगर, दौसा जिला दौसा राजस्थान को 10,00,000/–(रूपये दस लाख मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी व सहऋणीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने एवं समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी [illegible] और जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002 की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:53:30 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता प्रार्थी केनरा बैंक, शाखा दौसा [illegible] सुना गया। हमने [illegible] केनरा बैंक, शाखा दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थी ऋणी [illegible] केनरा बैंक, शाखा दौसा को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही कर उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड

.....निरंतर 2 पर

[illegible] जारी किये जाने व समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस के बावजूद ऋण राशि का [illegible] के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction [illegible] financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की [illegible] प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र एवं शपथ [illegible] के अनुसार बंधक रखी गई श्री कमलेश कुमार मीना पुत्र श्री कालूराम मीना की संपत्ति [illegible] साम्यिक बंधक यूको बैंक दौसा द्वितीय के अधीन है, जो प्लॉट नंबर बी–5, वासुदेव [illegible] ग्राम दौसा कलां तहसील व जिला दौसा राजस्थान में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल [illegible] वर्गगज है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, [illegible] भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी केनरा बैंक, शाखा दौसा को, किसी सक्षम न्यायालय का [illegible] आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल [illegible] हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 22 सितम्बर, 2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:53:30 IST
Reason: SelfAttested